न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना
पीठासीन अधिकारी:— श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 153/2021 | दायर दिनाँक 16.07.2021

वादी		प्रतिवादीगण
1. हनुमानराम पुत्र नाथूराम जाति जाट निवासी बकवास, तहसील डीडवाना जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. तहसीलदार डीडवाना। 2. भू—प्रबन्धक अधिकारी डीडवाना 3. भारतीय स्टेट बैंक, शाखा डीडवाना

दावा बाबत्
रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act.

उपस्थित:—

1. श्री हरफुल राव एडवोकेट वादी।

—:: निर्णय ::—

दिनाँक 22.07.2022

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि वादी ग्राम बकवास तहसील डीडवाना का स्थायी निवासी है तथा कृषि कार्य करके अपना व अपने परिवार का पालना पोषण करता है।

यह है कि वादी के खातेदारी का खेत खसरा सं0 310 रकबा 1.72 हैक्टे0 व खसरा सं0 15 रकबा 0.04 हैक्टे0 वाकै सरहद बकवास पटवार क्षैत्र खरेश, भू—अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र खुनखुना तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 में अवस्थित है।

यह है कि वादी के उक्त खेत खसरा सं0 310 में अभी वर्तमान में आये सेटलमेन्ट अधिकारियों ने खसरा सं0 310/424 रकबा 0.27 हैक्टे0 नजरी नक्शे में मार्क ए बी सी डी किस्म गै0मु0 रास्ता दर्ज कर दिया। जबकि नजरी नक्शे मे दर्शित मार्क ए बी सी डी रास्ता मौके पर कभी भी दर्ज नही था। वास्तविक रूप से नजरी नक्शे में दर्शित मार्क ए से डी ही रास्ता मौके पर प्रारम्भ से ही राजस्व रेकर्ड में दर्ज है तथा खातेदारान द्वारा उक्त रास्ते का ही आवागमन के रूप उपयोग—उपभोग किया जाता है। नजरी नक्शा वाद के साथ पेश है।

यह है कि राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों ने गलती व सहवन से खसरा सं0 310/424 मार्क ए बी सी डी गै0मु0 रास्ता व खसरा सं0 15 गै0मु0 रास्ता दर्ज कर दिया, जबकि उक्त खसरा की भूमि वादी के खातेदारी की भूमि रही है। जिसका वादी द्वारा ही उपयोग—उपभोग किया जाता रहा है।

प्रार्थना वादी निम्न प्रकार है :—

यह है कि खसरा सं0 310/424 गै0मु0 रास्ता नजरी नक्शा में दर्शाये अनुसार मार्क ए बी सी डी को हटाया जाकर मार्क ए से डी रास्ता दुरूस्त किया जावे तथा खसरा सं0 15 की किस्म गै0मु0 रास्ता से हटाया जाकर वादी की कृषि भूमि राजस्व रेकर्ड में वादी के नाम अमल दरामद किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करावें। इस आशय की डिक्री वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादी के विरूद्ध जारी की जावें।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:58:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। तत्पश्चात प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया, लेकिन प्रतिवादी बावजुद तामिल के अनुपस्थित होने से उसके खिलाफ एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लायी जाति है। तहसीलदार डीडवाना के पत्रांक 1351 दिनांक 19.07.2022 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसे सामिल मिसल किया गया।

विद्वान अधिवक्ता वादी की सारगर्भित बहस सुनी गयी, अधिवक्ता वादी ने वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया, विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया। अतः बाद विवेचन, वाद वादी डिक्री किया जाता है।

—: आदेश :—

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाकै सरहद बकवास के खेत खसरा सं0 310/424 गै0मु0 रास्ता नजरी नक्शा में दर्शाये अनुसार मार्क ए बी सी डी को हटाया जाकर गै0मु0 रास्ता की भूमि को खसरा सं0 310 में समलित व वादी खातेदारी में दर्ज की जाती है एवं खसरा सं0 15 की किस्म गै0मु0 रास्ता से हटाया जाकर वादी की कृषि भूमि (चाही 3) राजस्व रेकर्ड में दर्ज की जाती है।

तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो। तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगी।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलेक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक **22.07..2022** को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलेक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:58:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री बमुकद्दमें इस्तगाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः— सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 153/2021 दायर दिनाँक 16.07.2021

वादी		प्रतिवादीगण
1. हनुमानराम पुत्र नाथूराम जाति जाट निवासी बकवास, तहसील डीडवाना जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. तहसीलदार डीडवाना। 2. भू—प्रबन्धक अधिकारी डीडवा 3. भारतीय स्टेट बैंक, शाखा डीडवाना

दावा बाबत्
रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act.

दिनाँक 22.07.2022

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी निनजानिब मुद्दई श्री हरफुल राव एडवोकेट वादी की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्व दावा डिक्री सादिर कर, हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाकै सरहद बकवास के खेत खसरा सं0 310/424 गै0मु0 रास्ता नजरी नक्शा में दर्शाये अनुसार मार्क ए बी सी डी को हटाया जाकर गै0मु0 रास्ता की भूमि को खसरा सं0 310 में समलित व वादी खातेदारी में दर्ज की जाती है एवं खसरा सं0 15 की किस्म गै0मु0 रास्ता से हटाया जाकर वादी की कृषि भूमि (चाही 3) राजस्व रेकर्ड में दर्ज की जाती है।

तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो। तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगी।

नीज..........—.......... मुबलिंग............—............... बाबत.................—................
खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........—......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 22.07.2022 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	— —		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:58:21 IST
Reason: Self Attested

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner